

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय , केरल, तिरुवनंतपुरम OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I), KERALA, THIRUVANANTHAPURAM



सं.प्रशा.(ले प)/III/एमएसीपीएस/खंड XII

दिनांक: 02.09.2024

अनुभागीय आदेश सं. 182/SECTIONAL ORDER No. 182

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन निम्नलिखित विरष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों को प्रदान किए गए है, जिनके विवरण नीचे दिए गए है, जो प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावी होंगे।

Financial upgradation under MACP Scheme for Central Government employees has been granted to the following Senior Audit Officers as detailed below with effect from the date mentioned against each.

क्रम सं. Sl.No.	नाम (श्री) Name (Shri.)	वर्तमान स्तर Existing Level	नवीन स्तर New Level	पात्रता दिनांक Date of	उन्नयन स्थिति Status of Upgradation
				Eligibility	
1.	तंकप्पन के के	स्तर 10	स्तर 11	01.09.2024	द्वितीय एमएसीपी
	Thankappan KK	Level 10	Level 11	01.09.2024	2 nd MACP
2.	मोहनकुमार ए	स्तर 10	स्तर 11	01.00.2024	द्वितीय एमएसीपी
	Mohanakumar A	Level 10	Level 11	01.09.2024	2 nd MACP

पदोन्नित दिए जाने पर वेतन निर्धारण का लाभ भी एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय दिया जाएगा। यदि वे एफआर 22(I)(क)(1) के तहत विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर लिखित रूप में विकल्प देना होगा।

The benefit of pay fixation on grant of promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under MACP Scheme. If they intend to exercise option under FR 22(I)(a)(1), they should give the option in writing within one month from the date of issue of this order.

योजना के तहत वित्तीय उन्नयन दिए जाने पर पदनाम, वर्गीकरण या उच्चतर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि, वित्तीय और कुछ अन्य लाभ जो कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन से जुड़े हैं जैसे कि एचबीए, सरकारी आवास का आवंटन आदि की अनुमति होगी।

On grant of financial upgradation under the Scheme, there shall be no change in designation, classification or higher status. However, financial and certain other benefits which

are linked to the pay drawn by an employee such as HBA, allotment of Govt. accommodation shall be permitted.

एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी के लिए पूरी तरह से व्यक्तिगत होगा और उसकी विरिष्ठता स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं होगा। योजना के तहत वेतन निर्धारण के कारण विरिष्ठ की तुलना में किनष्ठ को अधिक वेतन मिलने पर वेतन में कोई वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

Financial upgradation under MACP Scheme shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to his seniority position. No stepping up of pay would be admissible with regard to junior getting more pay than the senior on account of pay fixation under the Scheme.

(प्रधान महालेखाकार के दिनांक 07.02.2024 के आदेशानुसार)

(Vide orders dated 07.02.2024 of Principal Accountant General)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /(प्रशासन)

Senior Audit Officer (Admn.)

प्रतिलिपि/Copy to:

- 1. अनु.आ.पुस्तक /SO Book
- 2. संबंधित पदाअधिकारी /Officials concerned
- 3. सभी समूह अधिकारी /All Group Officers
- 4. सभी शाखा कार्यालय /All Branch Offices
- 5. विरष्ठ ले प. अ. /का.स्था., शाखा कार्यालय, तृशूर /Sr.AO/OE, Br.Office, Thrissur
- 6. विरष्ठ ले प. अ. /का.स्था.(बिल/रोकड़/हक.)- ले प I/ ले प II /Sr.AO/OE (Bills/Cash/Entt)-Au-I/Au II
- 7. का.स्था.(बिल/रोकड़/हक.) ले प I/II/OE (Bills/Cash/Entt)- Au I/II
- 8. पीएओ I, II और III/PAO I, II, III
- 9. गो. कक्ष/ हिन्दी कक्ष/ आई ए अनुभाग ले प.- I/II **/**C.Cell/Hindi Cell/IA Section- Au I/II
- 10. सेवा संघ /Service Associations
- 11. सूचना पट्ट/Notice Board
- 12. व्यक्तिगत फ़ाइल / Personal File